न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : वंदना सिंघवी, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 228/2017

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1–सुलेमान पुत्र साधमान के का.मु0 1. 1– जुसब पुत्र मरहूम सुलेमान 1.2– इमरान पुत्र मरहूम सुलेमान 1.3– अहमद पुत्र मरहूम सुलेमान 1.4– इजत बेवा मरहूम सुलेमान 1.5– नीलाफर बेवा मरहूम सुलेमान सभी जातियान मुसलमान निवासी गांव बामणोर अमीरशाह, तहसील सेडवा, जिला बाडमेर 2– बहादुर पुत्र जुमा 3– अशरफ पुत्र जुमा 4– साधू पुत्र जुमा 5– आचार पुत्र जुमा सभी जातियान मुसलमान निवासी गांव बामणोर अमीरशाह, तहसील सेडवा जिला बाडमेर		1– उरस पुत्र ईस्माईल जाति मुसलमान निवासी बामणोर अमीरशाह तहसील सेडवा, जिला बाडमेर 2– सिदिक पुत्र हाजी 3– दोसू पुत्र मीदार 4– अमीन पुत्र अलारख 5– हिन्दाल पुत्र मुकीम सभी जाति मुसलमान निवासी बामणोर अमीरशाह, तहसील चौहटन जिला बाडमेर 6– जसवंताराम पुत्र लुम्बाराम 7– देवाराम पुत्र हडमानराम दोनो जाति जाट निवासी ग्राम दुधिया तहसील चौहटन, जिला बाडमेर 8– भोराराम पुत्र केसाराम जाति जाट निवासी गांव बाछडाऊ, तहसील चौहटन जिला बाडमेर 9– कासम पुत्र सुमार 10–मुहिब पुत्र जुसब 11–मजना पुत्र मुहीब तीनो जाति मुसलमान निवासी बामणोर अमीरशाह, तहसील चौहटन जिला बाडमेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 29–6–2015 जो राजस्व आवेदन पत्र संख्या 75/2014 अनवान उरस बनाम सुलेमान वगैरा मे उपखण्ड अधिकारी चौहटन द्वारा पारित किया ।

उपस्थितिः–

1– श्री एम.एल.खत्री अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– श्री रेस्पो0 गण बावजुद तामिल अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांक 30–10–2017

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वर्तमान अपील के रेस्पो0 संख्या 1 उरस वल्द इस्माईल मुसलमान निवासवी बामणोर अमीरशाह तहसील

चोहटन ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चोहटन के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का पेश कर अपने खातेदारी के खेत खसरा नंबर 452/363 रकबा 57 बीघा 09 बिस्वा भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने बाबत निवेदन किया । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी कर प्रकरण को लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वारा 2015 मे अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29–6–2015 के द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की भूमि की नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार सेडवा को कमिश्नर नियुक्त कर अपीलाधीन भूमि के पडौसी समस्त खातेदारो एवं पक्षकारो को नोटिस तामिल कराते हुए विधिसम्मत तरीके से नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट पेश करने के आदेश पारित किये । जिसके विरूद्ध वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

वकील अपीलांट उपस्थित । रेस्पो0गण के नोटिस तामिली के बावजुद कोई उपस्थित नही । अपीलांट अधिवक्ता की बहस सुनी । वकील अपीलांट ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट पडौसी खातेदार होते हुए अपीलांट को प्रोपर नोटिस तामिल करवाये बिना तथा अधीनस्थ न्यायालय मे सुनवाई का अवसर दिये बिना एक तरफा अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया, जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तो के विपरीत होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय मे पत्रावली तामिली मे चल रही थी परंतु प्रकरण को केम्प कोर्ट मे ले जाकर निर्णित कर दिया जबकि केम्प कोर्ट के कोई नोटिस पक्षकारान को जारी नही किये गये और न ही अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही एवं अपीलाधीन निर्णय पारित होने से पूर्व ही अपीलांट संख्या 1 के पिता सुलेमान का देहांत अहमदाबाद मे हो गया था परंतु उसके कायम मुकाम की कार्यवाही कर उनको रेकर्ड पर लिये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया, जो चलने योग्य नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण मे बिना सीमाज्ञान करवाये ही सीधे अपीलाधीन भूमि की पत्थरगढी करने बाबत आदेश पारित कर दिया जबकि बिना सीमाज्ञान करवाये पत्थरगढी बाबत आदेश पारित किया ही नही जा सकता है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिविरूद्ध होने से अपीलांट की उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29–6–2015 को निरस्त करने का निवेदन किया ।

हमने अपीलांट अधिवक्ता की एकतरफा बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेजात आदि का अवलोकन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय का अध्ययन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे अप्रार्थीगणो की तामिल के संबंध मे उपलब्ध दिनांक 10–4–2014 के नोटिसेज के अवलोकन से तथा आदेशिका दिनांक 26–6–14 अनुसार अप्रार्थीगण संख्या 2 से 5 एवं 9 से 11 की तामिली मानी गई है तथा शेष विप्रार्थीगणो के नोटिस पुनः पेश करने हेतु निर्देश के साथ पत्रावली दिनांक 10–7–14 को रखी गई परंतु उसके बाद न तो आदेशिका मे शेष रेस्पो0 के नोटिसेज की तामिली बाबत कोई उल्लेख है और न ही अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे दिनांक 10–4–2014 के पश्चात के अप्राथीगणो के कोई नोटिस ही उपलब्ध है, जिससे यह स्पष्ट है कि अप्रार्थीगणो को तामिली हुए बिना ही अधीनस्थ न्यायालय ने उनके समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का निर्णय केम्प मे कर दिया है, जो न्यायोचित नही माना जा सकता है ।

इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अप्रार्थीगण संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र के साथ कोई पैमाईश या सीमाज्ञान की रिपोर्ट पेश नही की गई है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय मे बिना सीमाज्ञान रिपोर्ट के सीधे नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने बाबत तहसीलदार सेडवा को कमिश्नर नियुक्त कर आदेश पारित कर दिया, जो विधि के प्रावधानो के अनुकुल नही होने से निरस्त योग्य है ।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन द्वारा

पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29–6–2015 निरस्त कर प्रकरण पुनः अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि सर्वप्रथम पक्षकारो को नोटिस जारी करें, उनकी उपस्थिति मे विवादित भूमि का सीमाज्ञान करावे, सीमाज्ञान रिपोर्ट पर किसी प्रकार का विवाद होने पर पक्षकारो को सुनने के बाद विधिवत नेखमबंदी बाबत नये सिरे से आदेश पारित करें ।

निर्णय आज दिनांक 30–10–2017 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(वंदना सिंघवी)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर